



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 कार्तिक 1945 (श०)

(सं० पटना 960) पटना, सोमवार, 13 नवम्बर 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

9 नवम्बर 2023

सं० 09/नि०-19-01/2023-20904/सा०प्र०—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2005" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-

- (1) यह नियमावली "बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2005 के नियम-2 के उप नियम (ख) का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली के नियम-2 के उप नियम-(ख) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"आयोग से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग"

3. बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2005 के नियम-2 के उप नियम (ङ) का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली के नियम-2 के उप नियम-(ङ) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"मेधा सूची से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
किशोर कुमार प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

9 नवम्बर 2023

सं० 09/नि०-19-01/2023, सा०प्र०-20905/अधिसूचना संख्या-20904/ दिनांक-09 नवम्बर 2023 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
किशोर कुमार प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 9th November 2023

No.-09/Ni-19-01/2023-20905/ GAD—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Drivers (Appointment & Service Condition) Rules, 2005”.

1. Short title, extent and commencement-

- (1) These Rules may be called as the "Bihar Drivers (Appointment and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2023"
- (2) It extends to the Secretariat Departments, attached offices and Mufassil office at different levels of the State Government.
- (3) It shall come into force at once.

2. Sub-Rule (b) of Rule 2 of the said-Rule, 2005 shall be substituted by the following- "Commission" means the Bihar Technical Service Commission.

3. Sub-Rule (e) of Rule 2 of the said-Rule, 2005 shall be substituted by the following- "Merit List" means the List of Candidates recommended by the Bihar Technical Service Commission.

By order of the Governor of Bihar,
KISHORE KUMAR PRASAD,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)960-571+300-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>